

## न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -80/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00245

सरकार जर्घ तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

लालचन्द पुत्र देवा जाति मेघवाल निवासी सोहनखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी  
जिला कोटा

—अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ  
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के  
अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत ।

उपस्थित—

1. परोकार सरकार

निर्णय


दिनांक:— 10/12/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर के आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.16 हे०, ख०नं० 631 रकबा 0.39 हे० भूमि दिनांक 13.01.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस इस आशय की अदम तामिली रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त हुआ है कि इस नाम का व्यक्ति ग्राम सोहनखेड़ा में निवास नहीं करता है । जिस पर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, किन्तु उक्त व्यक्ति सोहनखेड़ा व फतेहपुर में निवास नहीं करना बताया है और कहां रहता है इसकी भी जानकारी नहीं होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर तह० रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.16 हे०, ख०नं० 631 रकबा 0.39 हे० भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।
4. हमने परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की खसरा 45 रकबा 0.16 हे०, ख०नं० 631 रकबा 0.39 हे० भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण बावजूद

जिला कलेक्टर  
कोटा

सूचना के उपस्थित नहीं है तथा अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की हवहेलना है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.16 हे0, ख0न0 631 रकबा 0.39 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में दिनांक 13.07.1977 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

  
(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलेक्टर, कोटा  
जिला कलेक्टर  
कोटा

